मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—::—

क्रमांक 45/आर 05/चार/ब–1/2014 भोपाल, दिनांक 12/1/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषयः क्रय पर प्रतिबंध वर्ष 2014–15

—::—

वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में जल्दबाजी में क्रय की कार्यवाही करने पर निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्तीय अनुशासन में चूक होने की संभावना रहती है, जिसके कारण शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंतिम माहों में क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

15 जनवरी, 2015 के बाद क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाये। क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध के फलस्वरूप दिनांक 15 जनवरी से वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त शक्तियॉ अधिक्रमित रहेंगी। यह प्रतिबंध लघु उद्योग निगम एवं सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से क्रय की जाने वाली सामग्री पर भी लागू रहेगा, परन्तु यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदों मे लागू नहीं होगाः–

(एक) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, पेयजल से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गृह विभाग के अन्तर्गत आयोजनेतर मद में प्राप्त केन्द्रीय अनुदान।

(दो) जिन प्रकरणों में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त क्रय आदेश दिनांक 15 जनवरी के पूर्व कार्यालय द्वारा जारी किया जा चुका है, भले ही क्रय सामग्री 15 जनवरी के पश्चात् प्राप्त हो।

(तीन) ऐसे प्रकरण जिनमें छात्रावास, आश्रम, विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी के संचालन हेतु आवश्यक दवाईयॉ एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति हेतु क्रय किया जाना हो ।

(चार) ऐसे प्रकरण जिनमें 13वें वित्त आयोग की सहायता के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु।

(पॉच) रूपयें 5,000/– तक डाक टिकिट एवं आकस्मिक व्यय ।

(छः) शासकीय प्रेस के डायरी एवं कैलेण्डर ।

(सात) विभागों की आयोजना मदों में प्रावधानित राशि से संबंधित क्रय इस प्रतिबंध से शिथिल रहेंगी तथा भण्डार क्रय नियमों का पालन करना संबंधित विभागों का उत्तरदायित्व होगा।

3. उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12.1.15
(संदीप यादव)
संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरन्तर—2

पृ0 क्र0/ /आर 05/चार/ब–1/2014 भोपाल, दिनांक /1/2015

प्रतिलिपि:–

1– महालेखाकार मध्यप्रदेश, (लेखा/आडिट) ग्वालियर, भोपाल की ओर 50 अतिरिक्त प्रतियॉ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2– आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार समस्त कोषालय एवं उप कोषालय को सूचित करने का कष्ट करें।

3– वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/ बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिबंध से छूट संबंधी प्राप्त प्रस्तावो का परीक्षण संबंधित बजट शाखाओं द्वारा प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर कर उपयुक्त निर्णय लिया जाय।

4– गार्ड फाइल ।

12/1/15

(उपेन्द्र शर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग